

कार्यालय अतिरिक्त मुख्य अभियन्ता (पीपीपी) सार्वजनिक निर्माण विभाग राजस्थान जयपुर।

क्रमांक :- 2275

दिनांक :- 28/3/18

निदेशक,
जन सम्पर्क निदेशालय
राजस्थान, जयपुर।

विषय :- निविदा सूचना संख्या 17/2017-2018 प्रकाशित करने बाबत।

महोदय,


उपरोक्त विषय में लेख है कि वर्ष 2018-19 में अतिरिक्त मुख्य अभियन्ता (पीपीपी) कार्यालय, सार्वजनिक निर्माण विभाग परिसर, जयपुर में खुली निविदा के तहत फोटोस्टेट कार्य एवं अन्य कार्य हेतु निविदा आमंत्रित की जानी है। उक्त निविदा सूचना प्रकाशित करने हेतु सात प्रतियों में प्रेषित की जा रही है।

राज.लोक उपापन में पारदर्शिता अधि. 2012 एवं नियम 2013 के अनुसार कृपया इसे एक क्षेत्रीय दैनिक एवं एक राज्य स्तरीय मुख्य दैनिक समाचार पत्र में नियमानुसार प्रकाशित कराने का श्रम करे।

मुख्यालय का नाम	अतिरिक्त मुख्य अभियन्ता(पीपीपी) सा.नि.वि. राजस्थान, जयपुर
कुल निविदाओं की लागत	रुपये 4.90 लाख (चार लाख नब्बे हजार मात्र)
मुख्य निविदा की लागत	रुपये 4.90 लाख (चार लाख नब्बे हजार मात्र)
फार्म मिलने की तारीख	दिनांक 04 अप्रैल से 19 अप्रैल, 2018 प्रातः 10.00 बजे से सांय 5.00 बजे तक
फार्म जमा कराने की तारीख	दिनांक 20.04.2018 सांय 3.30 बजे तक
निविदा खोलने की तारीख	दिनांक 20.04.2018 सांय 4.00 बजे

सलग्न :- निविदा सूचना 7 प्रतियों में मय सी.डी.

UBN No.


(अनूप कुलश्रेष्ठ)

अतिरिक्त मुख्य अभियन्ता(पीपीपी)
सा. नि. वि. राजस्थान, जयपुर।

दिनांक :-

क्रमांक :-

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. अधीक्षण अभियन्ता पीपीपी 1/2 सा.नि.वि., जयपुर।
2. परियोजना निदेशक पीपीपी जयपुर सा0नि0वि0 राजस्थान।
3. खजान्ची, पीपीपी सा.नि.वि., जयपुर।



(सतीश शर्मा)

अधीक्षण अभियन्ता(पीपीपी-1)
सा. नि. वि. राजस्थान, जयपुर।

**कार्यालय अतिरिक्त मुख्य अभियन्ता(पीपीपी) सार्वजनिक निर्माण विभाग
राजस्थान जयपुर।**

क्रमांक :- 2275

दिनांक :- 28/3/18

:- निविदा सूचना संख्या - 17/2017-18 :-


इस कार्यालय के द्वारा अतिरिक्त मुख्य अभियन्ता (पीपीपी) ,सार्वजनिक निर्माण विभाग, राजस्थान, जयपुर के कार्यालय में फोटो स्टेट कार्य एवं अन्य कार्य हेतु 1 वर्ष के लिए निम्न विवरणानुसार निविदाएँ आमंत्रित की जाती है । :-

क्र.स.	कार्य का नाम	अनुमानित लागत	अमानत राशि
1.	फोटो स्टेट (कलर, ब्लैक एण्ड व्हाइट) मैप प्रिन्टिंग, बाईडिंग एवं अन्य कार्य	4.90 लाख रुपये	9,800/-

पूर्णत भरी हुई निविदाएं दिनांक 20.04.2018 को अपराह्न 3.30 बजे तक जमा की जाकर उसी दिन सांय 4.00 बजे उपस्थित निविदादाताओं के समक्ष इस कार्यालय में खोली जावेगी। निविदा प्रपत्र एवं शर्तें कार्यालय में रूपये 200/- नकद जमा करवाकर दिनांक 04.04.2018 से दिनांक 19.04.2018 तक कार्यालय समय में प्राप्त किये जा सकते हैं। अन्य शर्तें यथावत रहेंगी।

नोट :-

1. निविदा के सम्बन्ध में सम्पूर्ण अधिकारी अद्योहस्ताक्षरकर्ता को होंगे।
2. निविदा की विस्तृत जानकारी <http://sppp.raj.nic.in>, pwd.rajasthan.gov.in पर देखी जा सकती है।


(अनूप कुलश्रेष्ठ) 28/3/2018

अतिरिक्त मुख्य अभियन्ता(पीपीपी)
सा. नि. वि. राजस्थान, जयपुर।

फोटो स्टेट कार्य के लिए विशेष शर्तें

1. अतिरिक्त मुख्य अभियन्ता (पीपीपी) कार्यालय सा.नि.वि. जयपुर में आवश्यकतानुसार कार्यालय में ठेकेदार द्वारा फोटो कॉपीयर (मेक केनन-6000) स्थापित कर, मशीन चालक एवं कागज सहित फोटो कॉपी कार्य के लिए बोली(बिड) आमंत्रित की जाती है।
2. फोटो कॉपी मशीन स्थापित करने के लिए समस्त व्यय एजेन्सी द्वारा वहन किये जाएंगे।
3. फोटो कॉपी मशीन स्थापित करने के लिए कमरा/स्थान विभाग द्वारा उपलब्ध कराया जावेगा। विद्युत कनेक्शन भी विभाग द्वारा उपलब्ध करवाया जाकर विद्युत उपयोग का व्यय भी विभाग द्वारा ही वहन किया जावेगा।
4. कार्यालय में प्रतिमाह लगभग 50,000 प्रतियाँ फोटो स्टेट कार्य की आवश्यकता होगी। इसमें कमी या वृद्धि होने पर अनुबन्धकर्ता कोई क्लेम नहीं कर सकता।
5. फोटो स्टेट कार्य सामान्यता राजकीय कार्य दिवस में प्रातः 9.30 बजे से सांय 6.00 बजे तक करना होगा। राजकीय कार्य से आकस्मिक आवश्यकता होने पर इस समय के अतिरिक्त समय में कार्य के लिए भी निर्देश दिये जाने पर निर्देशानुसार कार्य सम्पादित कराना होगा। अवकाश के दिनों में भी आवश्यकता होने पर फोटो स्टेट मशीन संचालक को कार्य करने हेतु निर्देश दिये जा सकते हैं। निर्देशानुसार कार्य सम्पादित कराना होगा, जिसके लिए पृथक से कोई भुगतान देय नहीं होगा।
6. फोटो स्टेट कार्य के लिए मशीन कार्यालय में स्थापित कर मशीन ऑपरेटर की व्यवस्था एवं आवश्यक मात्रा में कागज की व्यवस्था अनुमोदित ठेकेदार को करनी होगी।
7. फोटो कॉपी के लिए न्यूनतम 75 जीएसएम का कागज ए-4 साईज, एफएस साईज एवं लिगल साईज में यथेष्ट मात्रा में कार्यस्थल में रखने होंगे ताकि कागज के अभाव में विभाग का कार्य बाधित न हो। सक्षम अधिकारी द्वारा समय-समय पर फोटो स्टेट कागज का सत्यापन भी किया जावेगा।
8. अनुमोदित ठेकेदार के मशीन चालक को कार्यालय के विभिन्न अनुभागों द्वारा प्रेषित मांग पत्र प्रतिदिन सांय 6.00 बजे तक एवं राजकीय कार्य से अति आवश्यक होने पर इसके पश्चात भी स्वीकार करने होंगे एवं उसी दिन मांग पत्र में निर्देशित कार्य पूर्ण कर फोटो स्टेट प्रतियाँ देनी होगी।
9. फोटो स्टेट मशीन खराब हो जाने पर उसकी तुरन्त ठेकेदार द्वारा मरम्मत करानी होगी। मशीन कार्य योग्य नहीं रहने या मशीन ऑपरेटर उपलब्ध नहीं होने की स्थिति में मशीन एवं ऑपरेटर की अन्य व्यवस्था की जिम्मेदारी ठेकेदार की होगी। उक्त व्यवस्था नहीं होने पर विभाग द्वारा अन्य व्यवस्था कर फोटो स्टेट कार्य करवाये जाने पर 500/- रुपये प्रतिदिन की शास्ती एवं प्रतिस्थापना व्यवस्था के कारण अधिक भुगतान की अन्तर राशि के लिए ठेकेदार जिम्मेदार होगा।
10. फोटो स्टेट कार्य के लिए कार्यालय द्वारा दिये गये दस्तावेजों की पूर्ण गोपनीयता के लिए भी ठेकेदार जिम्मेदार होगा। दस्तावेजों की फोटो स्टेट कर बाहर ले जाने या गोपनीयता भंग की स्थिति में ठेकेदार एवं मशीन चालक के विरुद्ध संविदा शर्तों तथा आपराधिक कानूनों के अन्तर्गत कार्यवाही की जावेगी। जिसकी समस्त जिम्मेदारी ठेकेदार की होगी।

11. बोली (बिड) स्वीकृत होने पर कार्यादेश की तिथी से 7 दिवस की अवधि में अनुमोदित ठेकेदार को कार्यालय में फोटो स्टेट मशीन स्थापित कर कार्य प्रारम्भ करना होगा निर्धारित अवधि में कार्य प्रारम्भ नहीं करने पर कार्यादेश को निरस्त करने एवं अन्य बोली (बिड) को कार्यादेश देने के लिए विभाग स्वतंत्र है। कार्य प्रारम्भ नहीं करने की स्थिति में बोली (बिड) की बिड प्रतिभूति/कार्य प्रतिभूति राशि जब्त करने योग्य होगी।
12. अनुमोदित ठेकेदार द्वारा विभाग कार्यालय में स्थापित मशीन की सुरक्षा एवं संधारण की पूर्ण जिम्मेदारी ठेकेदार की होगी। किसी भी प्रकार की टूट फूट, चोरी, मशीन की खराबी आदि के लिए विभाग जिम्मेदार नहीं होगा।
13. अनुबंध एवं करार की अवधि, करार की दिनांक से एक वर्ष के लिए मान्य होगी, जिसको आपसी सहमति से मूल अवधि को सम्मिलित करने हुए 03 माह तक बढ़ाया जा सकेगा।
14. अनुमोदित ठेकेदार के द्वारा तीन प्रतियों में बिल आगामी माह की 15 तारीख तक मय मांग पत्र संबंधित अधिकारी से प्रमाणित कर प्रस्तुत करने होंगे।
15. आयकर/टीडीएस एवं अन्य वैधानिक कटौति की राशि बोली (बिड) से नियमानुसार बिल से कटौति योग्य होगी।
16. अतिरिक्त मुख्य अभियन्ता (पीपीपी) सा.नि.वि. जयपुर को अनुबंध को निरस्त करने का पूर्ण अधिकार होगा।

हस्ताक्षर मय मोहर
(बालीदाता)

फोटो स्टेट कार्य के लिए बोली(बिड) एवं संविदा की सामान्य शर्तें एवं निर्देश

टिप्पणी :- बोलीदाताओं को इन शर्तों को सावधानीपूर्वक पढ़ना चाहिए तथा अपनी बोली प्रस्तुत करते समय इनका पूर्णरूपेण पालन करना चाहिए।

1. बोली(बिड) को एनआईबी में दिए गए निर्देशों के अनुसार उचित रूप में मुहरबंद लिफाफे में बन्द करना चाहिए।
2. जी.एस.टी. पंजीयन प्रमाण पत्र – कोई भी डीलर/सेवा दाता यदि उस राज्य में प्रचलित जहाँ उसका व्यवसाय स्थित है, जी.एस.टी. अधिनियम के अन्तर्गत पंजीकृत है तो सेवा कर पंजीयन संख्या का उल्लेख करें।(प्रमाण पत्र की सत्यापित प्रति संलग्न करें)
3. दर शब्दों एवं अंकों दोनों में लिखी होनी चाहिए। इसमें कोई त्रुटि या ओवर राइटिंग नहीं होना चाहिए। यदि कोई शुद्धियाँ करनी हो तो स्पष्ट रूप से की जानी चाहिए एवं उन पर दिनांक सहित लघुहस्ताक्षर किए जाने चाहिए। दरों में जी.एस.टी. की राशि को पृथक से दिखाना चाहिए।
4. सेवा दाता/अनुबन्धकर्ता अपनी संविदा को या उसके किसी सारवान भाग को किसी अन्य एजेन्सी को नहीं सौपेगा या उप भाड़े पर नहीं देगा।
5. बोली(बिड) दस्तावेजों में अंकित शर्तों के अतिरिक्त किसी प्रकार की कोई अतिरिक्त शर्त या प्रतिशर्त स्वीकार्य नहीं होगी।
6. निरीक्षण :-
(क) क्रेता अधिकारी या उसके विधिवत प्राधिकृत प्रतिनिधि,को किसी भी समय सेवादाता/अनुबन्धकर्ता के कार्य स्थल या मशीन एवं कागज आदि का निरीक्षण एवं जाँच करने की शक्ति होगी।
(ख) बोलीदाता अपने कार्यालय का पूर्ण पता,उस व्यक्ति के नाम व पते एवं फोन नम्बर के साथ देगा जिससे उस प्रयोजन के लिए सम्पर्क किया जा सके।
- (7) अनुबन्ध/सेवा हेतु संविदा को,यदि सेवा अनुबन्धकर्ता अधिकारी की संतुष्टि के अनुसार नहीं किया जा सकता है,तो बोलीदाता को सुनवाई का एक युक्तियुक्त अवसर देने के बाद अनुबन्धकर्ता अधिकारी किसी भी समय निरस्त कर सकता है। वह इस प्रकार निरस्त करने के कारणों को अभिलिखित करेगा।
8. बोली अमानत :-
(क) बोली(बिड) के साथ 9,800/- रु की बिड प्रतिभूति प्रस्तुत की जाएगी। इसके बिना निविदाओं पर विचार नहीं किया जाएगा। यह राशि परियोजना निदेशक (पीपीपी-प्रथम) सा.नि.वि.,जयपुर के पक्ष में नकद,बैंक ड्राफ्ट,बैंकर्स चैक या भारतीय शिड्यूल्ड बैंक की बैंक गारण्टी के रूप में प्रस्तुत की जावेगी।
9. कार्य का चालान (Indent) अधिकृत अधिकारी द्वारा हस्ताक्षर युक्त बिल के साथ विभाग में प्रस्तुत करने होंगे।

बिड प्रतिभूति का समपहरण :- बिड प्रतिभूति को निम्नलिखित मामलो में समपहृत कर लिया जाएगा :-

- (i) जब बोलीदाता बोली(बिड) खोलने के बाद किन्तु बोली को स्वीकार करने के पूर्व प्रस्ताव को वापस लेता है या उसमें रूपान्तरण करता है।
- (ii) जब बोलीदाता विनिर्दिष्ट समय के भीतर विहित किसी करार को, यदि कोई हो, निष्पादित नहीं करता है।
- (iii) जब बोलीदाता आदेश देने के बाद भी कार्य प्रतिभूति (Security) राशि जमा नहीं कराता है।
- (iv) जब वह विहित समय के भीतर सेवा/अनुबन्ध आदेश के अनुसार मदों का सेवा/अनुबन्ध प्रारम्भ करने में असफल रहता है।

10. करार एवं कार्य प्रतिभूति निक्षेप :-

- (i) सफल बोलीदाता को आदेश के प्राप्त होने से 7 दिवस की अवधि के भीतर संलग्न प्रपत्र में एक करार पत्र निष्पादित करना होगा तथा जिन सेवाओं के लिए बोली(बिड) स्वीकार की गयी है, उनके अनुमानित लागत के 5 प्रतिशत के बराबर रूपये 25,000/- की कार्य निष्पादन प्रतिभूति राशि (Work Performance Security) जमा करानी होगी। यह प्रतिभूति प्रेषण के उस दिनांक से, जिसको बोली(बिड) के स्वीकार किए जाने की सूचना उसे दी गयी है, 7 दिन के भीतर जमा करायी जाएगी।
- (ii) बोली के समय जमा करायी गयी बोली प्रतिभूति को कार्य निष्पादन प्रतिभूति की राशि के लिए समायोजित किया जाएगा। कार्य निष्पादन प्रतिभूति की राशि किसी भी दशा में बोली प्रतिभूति से कम की नहीं होगी।
- (iii) कार्य निष्पादन प्रतिभूति राशि पर विभाग द्वारा ब्याज का भुगतान नहीं किया जाएगा।
- (iv) कार्य निष्पादन प्रतिभूति राशि नकद अथवा परियोजना निदेशक (पीपीपी-प्रथम) सा.नि.वि., जयपुर के नाम नकद, बैंक ड्राफ्ट, बैंकर्स चैक, भारतीय शिड्यूल्ड बैंक की बैंक गारण्टी में जमा कराई जा सकती है।

11. भुगतान :-

- (i) जब तक पक्षकारों के मध्य अन्यथा सहमति न हो जाए, सेवा/अनुबन्ध के लिए प्रत्येक माह के भुगतान हेतु बोलीदाता द्वारा सेवा अनुबन्ध कर्ता अधिकारी को उचित प्रारूप में बिल प्रस्तुत करने पर किया जाएगा तथा सभी प्रेषण प्रभार बोलीदाता द्वारा वहन किए जाएंगे।
- (ii) विवादास्पद मदों के सम्बन्ध में, राशि का 10 से 25 प्रतिशत तक को रोका जाएगा तथा उस विवाद का निपटारा हो जाने पर उसका भुगतान कर दिया जाएगा।

- (iii) उन मामलो के सम्बन्ध में, जिनमें परीक्षण करने की जरूरत है, भुगतान तभी किया जाएगा जब उनका परीक्षण कर लिया जाए तथा प्राप्त हुए परीक्षण परिणाम विहित विनिर्देशों के अनुरूप हो।
12. बोलीदाता करार को निष्पादित करते समय निम्नलिखित दस्तावेज प्रस्तुत करेगा :-
- (i) यदि भागीदारी फर्म हो तो भागीदारी विलेख की एक अनुप्रमाणित प्रति।
- (ii) यदि भागीदारी फर्म रजिस्ट्रार ऑफ फर्म्स के पास पंजीकृत हो तो पंजीयन प्रमाण-पत्र संख्या एवं उसका वर्ष
- (iii) एक मात्र स्वामित्व के मामले में आवास एवं कार्यालय का पता, टेलीफोन नम्बर।
- (iv) कम्पनी के मामले में कम्पनी के रजिस्ट्रार के द्वारा जारी किया गया प्रमाण पत्र।
13. प्राप्त बोलियाँ (बिड्स) प्रस्तुत करने की अन्तिम तिथी से 90 दिवस तक वैध होगी।
14. समस्त विधिक कार्यवाहियाँ, यदि संस्थित किया जाना आवश्यक हो, किसी भी पक्षकार द्वारा जयपुर शहर स्थित न्यायालयों में ही की जावेगी, अन्यत्र नहीं की जाएगी।
15. फर्म का कार्य स्थल सा.नि.वि. मुख्यालय के 500 मीटर से एक कि.मी. के दायरे में ही होना चाहिए अधिक दूरी क्षेत्र वाली फर्म की निविदा मान्य नहीं होगी। कार्य स्थल के दस्तावेज की फोटो प्रति संलग्न करनी होगी।
16. बोली में भागीदारी लेने वाली फर्मों का वार्षिक टर्न ओवर राशि रुपये 9.50 लाख गत तीन वर्षों का होना आवश्यक है।
17. फर्म के कार्यस्थल पर भौतिक सत्यापन के समय फोटो स्टेट मशीन, कम्प्यूटर, नक्शे की मशीन एवं अन्य मशीनरी होने पर ही कार्य करवाया जायेगा।